

1
2021/2017

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई०पी०सं०-4-17
क्रमांक-202/2017
आरबीई सं०-107/2017
सं० ई/161/11/भाग-पोंच/चार

दिनांक 3-10-2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:- विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी)
अधिनियम 1995 की धारा 47 के प्रावधानों के आलोक रेल सेवकों को
छुट्टी एवं स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं० ई(पं. एण्ड ए)1-2017/सीपीसी/एलई-5 दिनांक
30.08.2017 की हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर
प्रेषित की जा रही है।

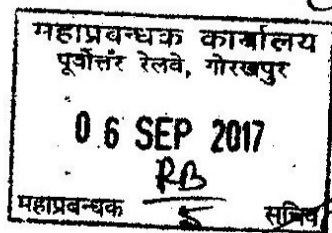
संलग्नक/यथोपरि

(यू० पी० सिंह)
उपमुकाधि/अराज
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूतरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूतरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 6- मुकाय्याधी/एमपीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RILWAY BOARD)

सं. ई(पी एण्ड ए)I-2017/सीपीसी/एलई-5

आरबीई सं. 167/2017
नई दिल्ली, दिनांक 30.08.2017

महाप्रबन्धक एवं वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 47 के प्रावधानों के आलोक में रेल सेवकों को छुट्टी एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.02.2015 के कार्यालय जापन सं. 18017/1/2014-ईस्ट(एल) और दिनांक 19.05.2015 के कार्यालय जापन सं. 25012/1/2015-ईस्ट(ए-IV) के अनुसरण में उन रेल कर्मियों जो सेवा में रहते हुए दिव्यांग हो गए हैं, के छुट्टी और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित मामलों को विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 47 के प्रावधानों के आलोक निपटाया जाना अपेक्षित है।

2. विकलांगता से संबंधित चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर छुट्टी के लिए दिए गए आवेदन को किसी चिकित्सा प्राधिकारी की राय लिए बिना अस्वीकार या रद्द नहीं किया जाना चाहिए और उस चिकित्सा प्राधिकारी की राय बाध्यकारी होगी। विकलांगता से संबंधित चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर आवेदन की गई छुट्टी के मामले में आईआरईसी वॉल्यूम-1 के नियम 510 में विनिर्दिष्ट अधिकतम स्वीकार्य छुट्टी का प्रावधान लागू नहीं होता है। रेल सेवक को अक्षम घोषित किए जाने के बाद काटी गई छुट्टी की अवधि उसके छुट्टी लेखे में वापस कर दी जाएगी। किसी ऐसे रेल सेवक जो विकलांगता के कारण आवेदन अथवा चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने समर्थ न हो, के लिए उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन/चिकित्सा प्रमाणपत्र को स्वीकार किया जाए।

3. इसके अलावा, पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 की धारा 47 के प्रावधानों और भगवान दास एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य बिजली बोर्ड (2008) 1 एससीसी 579 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जब कभी कोई रेल सेवक चिकित्सा आधार का उल्लेख करते हुए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का अनुरोध करता है या जब उक्त नोटिस विकलांगता के कारण प्रस्तुत की जाती है तो प्रशासनिक प्राधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि क्या मामला पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 धारा 47 के तहत आता है। यदि वे प्रावधान लागू होते हैं तो रेल सेवक को सुझाव दिया जाएगा कि वह उसी वेतनमान और सेवा लाभ के साथ सेवा में बना रह सकता है।

3.1 यदि विकलांग रेल सेवक अपने निर्णय पर पुनः विचार करता है और स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति का नोटिस वापस ले लेता है तो उसके मामले पर पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 की धारा 47 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल, यदि ऐसा सुझाव देने के बावजूद वह सरकारी सेवक स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति लेना चाहता है तो उसके अनुरोध पर लागू नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

3
20/2/2017

अनुरोध है कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 की धारा 47 के प्रावधानों के तहत स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति और विकलांग रेल सेवक की छुट्टी से संबंधित अनुरोधों के मामलों की प्रक्रिया आरंभ करते समय उपर्युक्त को ध्यान में रखा जाए।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।
6. कृपया पावती दें।

(अनिल कुमार)

उप निदेशक/ई(पी एण्ड ए)-I

रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 30.08.2017

सं. ई(पी एण्ड ए)-I-2017/सीपीसी/एलई-5

भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली को प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) प्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

नई दिल्ली, दिनांक 30.08.2017

सं. ई(पी एण्ड ए)-I-2017/सीपीसी/एलई-5

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
3. राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रीआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
5. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 402, रेल भवन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
7. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा नं. 341-सी, रेलवे बोर्ड।
8. अध्यक्ष, इण्डियन रेलवे क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीय स्टाफ एसोसिएशन।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास-IV स्टाफ एसोसिएशन।
11. सेक्रेटरी जनरल, एआईआरपीएफ एसोसिएशन।
12. जनरल सेक्रेटरी, अखिल भारतीय एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, कमरा नं. 8, भूतल, रेल भवन, नई दिल्ली-110001
13. जनरल सेक्रेटरी, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन (पंजीकृत), 490ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुड़गांव।
14. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16, अशोक रोड, लखनऊ।

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड